संख्या-18/2018/715/46-1-18-1000(20)/2017

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, मथुरा, कासगंज, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, फर्रूखाबाद, रायबरेली, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, गाजीपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2018

विषयः- गन्ना विकास परिषद द्वारा निर्मित सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाना एवं अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-23 (सामान्य) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 27.03.2018 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-16/2018/616/46-1-18-1000(20)/2017, दिनांक 27-03-2018 के क्रम में आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र संख्या-1911/12-निर्माण: अ.ग्रा.,101 दिनांक 29-03-2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 27-03-2018 के संलग्नक-2 में जनपद अलीगढ के अन्तर्गत क्रमांक-751 पर अंकित सम्पर्क मार्ग "अलीगढ अनूपशहर मार्ग से पला-कस्तली" लम्बाई 1.200 कि.मी. लागत रू. 13.667 लाख अंकित है, यह सम्पर्क मार्ग पुन: संलग्नक-3 में भी जनपद अलीगढ के अन्तर्गत क्रमांक-56 पर त्रुटिवश अंकित हो गया है जिसे संलग्नक-3 में निरस्त करते हुये उसी संलग्नक के स्तम्भ-11 में जनपद अलीगढ के जनपदीय योग में अंकित लम्बाई 3.059 कि.मी. के स्थान पर 1.859 कि.मी. तथा स्तम्भ-12 में लागत रू. 60.849 लाख के स्थान पर रू. 47.182 लाख तथा 83 नये सम्पर्क मार्गों के संलग्नक-3 के कुल योग के स्तम्भ-11 में अंकित लम्बाई 91.779 कि.मी. के स्थान पर 90.579 कि.मी. तथा स्तम्भ-12 लागत रू. 1872.800 लाख के स्थान पर रू. 1859.133 लाख का संशोधन जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यथा प्रस्ताव उक्त शासनादेश दिनांक 27-03-2018 के संलग्नक-3 में जनपद अलीगढ के अन्तर्गत क्रमांक-56 पर त्रुटिवश अंकित "अलीगढ अनूपशहर मार्ग से पला-कस्तली" लम्बाई 1.200 कि.मी. लागत रू. 13.667 लाख को निरस्त करते हुये, उसी संलग्नक के स्तम्भ-11 में जनपद अलीगढ के जनपदीय योग में अंकित लम्बाई 3.059 कि.मी. के स्थान पर 1.859 कि.मी. तथा स्तम्भ-12 में लागत रू. 60.849 लाख के स्थान पर रू. 47.182 लाख एवं तदक्रम में शेष अन्य स्तम्भों को भी संशोधित समझा जाय तथा 83 नये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्पर्क मार्गों (शासनादेश दिनांक 27.3.2018 के संलग्नक-3 में 84 नये सम्पर्क मार्गों में से 1 सम्पर्क मार्ग को निरस्त करने के पश्चात) के कुल योग के स्तम्भ-11 में अंकित लम्बाई 91.779 कि.मी. के स्थान पर 90.579 कि.मी. तथा स्तम्भ-12 लागत रू. 1872.800 लाख के स्थान पर रू. 1859.133 लाख एवं तदक्रम में शेष अन्य स्तम्भों को भी संशोधित समझा जाय। इस प्रकार संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.03.2018 के संलग्नक-2 में उल्लिखित 1095 सम्पर्क मार्गों एवं संलग्नक-3 के 83 सम्पर्क मार्गो को सम्मिलित करते हुये कुल 1178 सम्पर्क मार्गो की कुल संशोधित लागत रू. 24982.633 लाख होगी।

3- उक्त् संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.3.2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

भवदीय,
नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

संख्या-18/2018/715/46-1-18-1000(20)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
5- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
6- प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र., लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।
8- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
9- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
10- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
11- संबंधित जनपदों के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।
12- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
13- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in